(लोक सभा द्वारा 13.2.2019 को पारित रूप में)

2018 का अधिनियम संख्यांक 249-सी

[दि जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल (एमेन्डमेन्ट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

धारा 4 का संशोधन ।

1951 का 25

5

2. जलियांवाला बाग़ राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) जलियांवाला बाग़ राष्ट्रीय स्मारक के न्यासी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :--

(क) प्रधानमंत्री - अध्यक्ष ;

(ख) संस्कृति का भारसाधक मंत्री ;

(ग) लोक सभा में इस रूप में मान्यताप्राप्त विरोधी दल का नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है, वहां उस सदन में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता ;

(घ) पंजाब राज्य का राज्यपाल ;

(ङ) पंजाब राज्य का मुख्यमंत्री ; और

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन विख्यात व्यक्ति ।"।

धारा 5 का प्रतिस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

न्यासियों की पदावधि ।

"(5) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नामनिर्देशित न्यासी पाँच वर्ष की अवधि के लिए न्यासी होंगे और पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे :

परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नामनिर्देशित किसी न्यासी की पदावधि को बिना कोई कारण बताए पाँच वर्ष की अवधि के अवसान से पहले समाप्त किया जा सकेगा ।"।

MGIPMRND—3883LS(CRC)—13-02-2019.